

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,  
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- / /2026

विषय:-

श्री संजीव कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-460/26, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रभार रहित अवधि का विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक-14.04.2026 को मंत्रिपरिषद् के विघटनोपरांत श्री संजीव कुमार द्वारा दिनांक-14.04.2026 को श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद का स्वतः प्रभार त्याग कर दिनांक-15.04.2026 के पूर्वाह्न में पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान किया गया।

2 विभागीय आदेश संख्या-7558, दिनांक-29.04.2025 द्वारा दिनांक-02.05.2026 से श्री संजीव कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-460/26 को जिला स्तर पर पंचायत-वार निर्धारित सहयोग शिविर के प्रभावी संचालन हेतु जिला समस्तीपुर में प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त आदेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक-02.05.2026 के पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में योगदान दिया गया।

3 विभागीय अधिसूचना संख्या-8470, दिनांक-13.05.2026 द्वारा श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्ति हेतु श्री संजीव कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-460/26 की सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-573, दिनांक-20.05.2026 द्वारा श्री कुमार को श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक-21.05.2026 को माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर प्रभार ग्रहण किया गया।

4. अतः श्री संजीव कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-460/26, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का दिनांक-15.04.2026 से दिनांक-20.05.2026 तक निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जा सकता है:-

(क) दिनांक-15.04.2026 से दिनांक-01.05.2026 मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(ख) दिनांक-02.05.2026 से दिनांक-20.05.2026 तक कर्तव्य अवधि के रूप में।

5. उक्त अवधि में श्री संजीव कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-460/26, को कोटि वेतन देय होगा।


6. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-929/2024- 9592/सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 29/ 5/2026  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल  
सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/श्री संजीव कुमार, बि0प्र0से0, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय  
मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार  
पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट  
एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।